*वित्तीय समावेशन के अगले दौर में सूक्ष्म वित्त**

एम.के.जैन

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), डॉ. चरण सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशक, आर्थिक विकास और कल्याण फाउंडेशन, श्री गेविन मैकगिलिव्रे प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया, अन्य गणमान्य अतिथियो, प्रतिभागीगण, देवियो और सज्जनों। गुडमॉर्निंग! मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वरिष्ठ बैंकर, क्षेत्र विशेषज्ञ, शिक्षाविद और व्यवसायीगण इस राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन में भारत में सूक्ष्म वित्त के दृष्टिपथ पर विचार-विमर्श करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और एक विकसित नियामक, राजनीतिक और अर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में उसे प्राप्त करना है। यह वास्तव में गर्व की बात है कि आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ।

यह सम्मेलन समयोचित और सामयिक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन में लगभग डेढ़ दशक के प्रयासों के बाद, जहां बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े है कि हमारी जनसंख्या के बड़े हिस्से को वित्तीय समावेशन के अगले चरण में वित्तीय सेवाओं के योग्य उपभोक्ताओं के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता हैं। इससे संबंद्ध क्षेत्रों में हो रहे प्रौद्योगिकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में मुझे सूक्ष्म वित्त उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है, जिसमें वित्तीय सेवाओं का तर्कसंगत रूप से उपभोग करने के लिए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को पहचानना, उसे सक्षम बनाना और उसकी सहायता करना ताकि उसे गरीबी से बाहर निकाल सकें तथा देश का एक कार्यक्षम नागरिक बना सके।

भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या के साथ-साथ इस अवधि के दौरान वित्तीय सेवाओं से वंचित ग्राहकों को दीए गए क्रेडिट की मात्रा भी काफी बढ़ गई है। इसलिए इस मोड़ पर, आगे बढ़ने के तरीके की चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तनों के कारण उभरती चिंताओं / मुद्दों; कार्यनीतिक उत्प्रेरक, रुझानों और उद्योगों की वृद्धि के लिए संभावित समाधान, अभिनव, भविष्यवादी और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मॉडल को पूरे क्षेत्र में अपनाया जाना तथा उद्योग में नीतिगत हस्तक्षेप और तकनीकी परिवर्तन के अवसर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त की भूमिका

सूक्ष्म वित्त, निम्न आय समूहों के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने, वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और गरीबों को गरीबी से बाहर निकलने के लिए सहायता हेतु तैयार किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है। यह तर्क दिया जाता है कि सूक्ष्म वित्त, राष्ट्रीय नीतियों के गरीबी कम करना, महिलाओं का सशक्तीकरण, कमजोर समूहों की सहायता और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकता है।

पिछले दो दशकों में वित्तीय समावेशन की यात्रा गहन प्रयासों और वृद्धिशील प्रयोगों की रही है। हालांकि, बहुत बडा परिवर्तन तब आया जब 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) शुरु की गई, जिसने लगभग हर घर में वयस्क लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराएं। मोबाइल फोन की पहुंच और ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ये खाते उन लोगों के पास है जिन्हें वित्तीय सेवाओं में शामिल किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के लाभप्रद क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने की अपनी नीति जारी रखते हुए और देश में सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकरहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाएं बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

दो दशक पहले तक, आपूर्ति क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी बाधा थी क्योंकि इसने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार

* 26 नवंबर 2019 को सिडबी राष्टीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन 2019 में श्री एम.के जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें 600 हजार से अधिक गाँव शामिल थे। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) ढांचे को संस्थागत रूप देना बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिज़र्व बैंक ने भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक बैंकिंग संरचना के संयोजन की वकालत की। इन सभी उपायों के साथ, गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

नई बैंकिंग संस्थाओं (यानी दो नए सर्वव्यापी बैंकों और दस छोटे वित्त बैंकों) ने भी देश में वित्तीय समावेशन हेतु सहायता की है। वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों के बीच मजबूत संबंध को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने भी कई कदम उठाए हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना, प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिजिटल और मोबाइल वॉलेट्स आदि शामिल हैं। एक दशक से अधिक समय से, बैंकों ने वित्तीय समावेशन उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयोजन से गति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है।

वित्तीय समावेशन बैंकों, एनबीएफसी, वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। लघु वित्त बैंकों को मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिक, कम आय वाले घरों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं में शामिल ग्राहकों को आधार बनाकर वित्तीय समावेशन के लिए स्थापित किया गया है। आज, जब वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त की बात आती है, तो सर्वव्यापी बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, बीसी आदि जैसे कई चैनल सामने आते हैं। इसलिए, एक देश के रूप में जो सस्ती लागत पर सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, यह एक निर्णायक क्षण है, और हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुकूल वातावरण बनाने और बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभिनव उपाय किए गए हैं। स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुकूल वातावरण के निर्माण और बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभिनव उपाय किए गए हैं जिससे सेवारहित और कम सेवा प्राप्त लोगों की सेवा की जा सके। सह-उत्पति मॉडल, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को छोड़कर) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जमाराशि स्वीकार न करने वाली- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ सह-उत्पत्ति मॉडल की शुरुआत की गई है। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे सूक्ष्म उद्यमों, लघु और सीमांत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), आदि को उधार दिया जा सकता है।

जरूरतमंद उधारकर्ता समूहों को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को ऋण देने के लिए दिया गया बैंक ऋण संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा।

रोजगार सृजन, नई पद्धति, निर्यात और समावेशी विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधानों के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू. के. सिन्हा) का गठन किया था। समिति द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए विधायी और संस्थागत ढांचे, वित्त की पहुंच, क्षमता निर्माण और नए तकनीकी हस्तक्षेप जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सिफारिशें की गई हैं। कार्यान्वयन के लिए इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

वर्ष 2006 के बाद, रिज़र्व बैंक ने मांग और आपूर्ति दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन के मुद्दों समाधान के लिए एक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाया है। आपूर्ति क्षेत्र के बाद, अब मैं वित्तीय समावेशन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण लेकिन कम ध्यान दिए गए मांग क्षेत्र के पहलुओं पर चर्चा करूंगा। वित्तीय सेवाओं की बढ़ती औपचारिकता के साथ, हमें अब मांग क्षेत्र पर अपने प्रयासों को तेज करना होगा, जो क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है ताकि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति केवल प्रस्तावित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों / अपनी पसंद के अनुकूल पसंदीदा उत्पादों की मांग करने में भी सक्षम हों।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) इसका स्पष्ट उदाहरण है। जबकि इस तरह के बड़े पैमाने पर कई लाभार्थियों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा लेकिन इन उधारकर्ताओं के बीच गैर-निष्पादित आस्तियों के बढ़ते स्तर पर कुछ चिंताएं हैं। बैंकों को मूल्यांकन चरण में पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने और उनके जीवन चक्र के माध्यम से ऋणों की अधिक बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

हमारी अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की भूमिका और इसका महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। स-धन द्वारा तैयार भारत सूक्ष्म वित्त रिपोर्ट 2019 के अनुसार एमएफआई भारत में 29 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों और 570 जिलों में काम करते हैं। एमएफआई अपने केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के लिए नए क्षेत्रों में भी इसका विस्तार कर रहे हैं।

बिना क्रेडिट स्कोर वाले, उद्यमशीलता और उपभोग ऋण, हैंडहोल्डिंग, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक अवसर पर लिए जाने वाले ऋण और बीमा (जीवन और गैर जीवन), लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए तैयार उत्पादों की सूची सभी पैमाने और आकार में उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीमित स्तर पर सशक्त प्रयास किए गए है लेकिन अभी तक पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाए हैं।

रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन को, सामान्य रूप से समाज के सभी जरुरतमंद वर्गों और विशेष रूप से निम्न आय समूह वाले कमजोर वर्गों तक, विनियमित, मुख्यधारा के संस्थागत भागीदारियों द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से सस्ती कीमत पर आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24 हमने तैयार की है। यह सभी नागरिकों को समावेशी और आघात सहनीय बहु हितधारी वृद्धि का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने के लिए दृष्टिपथ प्रदान करता है।

सूक्ष्म वित्त की क्षमता

हमारे देश में विशाल और बढ़ती श्रमजीवी आबादी के साथ एक बड़ा जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। संस्थागत ऋण समर्थन से मध्यम वर्ग विकसित होने की बड़ी संभावना है। इसलिए, सूक्ष्म वित्त उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लक्ष्यों को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

कम आय समूहों को आपातकालीन ऋण, उपभोग ऋण, व्यवसाय ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, आवास आदि ऋण की जरुरत होती है जो इसमें शामिल हैं। इस ऋण के अलावा, गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाओं के संयोजन से लाभ होगा, जिसमें बचत, प्रेषण, ऋण, सूक्ष्म बीमा, माइक्रो-पेंशन, और इसी तरह के लाभ शामिल हैं।

आज की दुनिया में, प्रौद्योगिकी वित्त के भविष्य के रूप में आकार ले रही है। सभी प्रमुख सहभागी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को एक प्रभावी अनुभव प्रदान किया जा सके। भारतीय संदर्भ में, इसके लिए सबसे प्रमुख कार्य फिनटेक का उपयोग करके वित्तीय प्लेटफार्मों की पहुंच में सुधार करना है। इसके लिए जरुरी यह है कि वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक वित्तीय उत्पादों को डिजाइन करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं और एमएफआई, फिनटेक आदि जैसे अन्य सहभागियों के बीच तालमेल बैठाने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वे इसे पूरा करने में एक पूरक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए, बैंकों और एनबीएफसी को अपने बीच और फिनटेक फर्मों के साथ व्यापार सहयोग स्थापित करने की संभावना तलाशने की जरूरत है, क्योंकि नई पद्धति के माध्यम से वित्तीय समावेशन की कार्ययोजना को तेज करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।उभरती हुई प्रौद्योगिकी को तेजी से अपने व्यवसायों में शामिल करने के अलावा, सूक्ष्म वित्त में शामिल संस्थाएं फिनटेक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करने पर भी विचार कर सकती हैं, जो उन्हें अपना ग्राहक बना सकते हैं, लेनदेन डेटा की सहायता कर सकते हैं, उत्पादों को बेचने और नए ग्राहकों को उत्पाद पेश कर सकते हैं और सेवाओं तथा संचालन को कारगर बनाने में सहायता कर सकती हैं। उनके पास अपने ग्राहकों को, जो अधिक जानकार और जागरूक नहीं है और इसलिए इसके आभाव में धोखाधड़ी में आसानी से पड़ सकते है, डिजिटल साक्षरता देने का अवसर भी होगा।

आगे का रास्ता

इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास के लिए धन्यवाद क्योंकि इसकी वृद्धि के कारण, आज हम अपनी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में हुई अचानक डेटा वृद्धि को देख रहे हैं। इसी तरह, सूक्ष्म वित्त में, कम आय वाले ग्राहक जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनके बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक डेटा डिजिटल फुटप्रिंट्स के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। इन डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग अग्रणी बैंकों और ऑनलाइन ऋण देने वाली फर्मों द्वारा व्यक्तियों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उधार देने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

यह देखना दिलचस्प है कि अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों ने प्रतिस्पर्धी शर्तों पर अपने आपूर्तिकर्ताओं को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों और एनबीएफसी के साथ करार किया है।

माल और सेवा कर (जीएसटी), जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक है, की शुरूआत भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करने में सहायता कर रही है। इसके अत्यंत उन्नत डिजिटल फुटप्रिंट के परिणामस्वरूप, मालिकाना कारोबार, सूक्ष्म और लघु उद्यम में लगे लोग अब बैंकों और एनबीएफसी के लिए आकर्षक ग्राहक बन गए हैं। इस कारण अब धन के अनौपचारिक स्रोतों पर से उनकी निर्भरता कम हो गई है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की लागत में भी काफी कमी आएगी क्योंकि ऋण अब संपार्श्विक आधार से नकदी प्रवाह आधार में शिफ्ट हो जाएगा।

जब हम अवसरों की एक नई दुनिया खोलते हैं, तो वित्त में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अपना एक जोखिम होता है जो नियामकों और पर्यवेक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन जोखिमों की प्रारंभिक पहचान करना और संबंधित विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियों को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण है ताकि इनके विकास के लिए इसकी पूरी क्षमता को काम में लाया जा सके। इसके लिए एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी प्रकार, निरंतर ऋण वृद्धि, कम लाभप्रदाता द्वारा अभिव्यक्त अंतर-संबद्धता, प्रति-चक्रीयता, और वित्तीय जोखिम में वृद्धि होने से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो सकता है। डेटा गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आम जनता की बढ़ती अपेक्षाओं, तकनीकी प्रगति और एक विकासशील नियामक परिदृश्य के बीच सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कई बदलाव हो रहे हैं। इसलिए, इस क्षेत्र से उम्मीद है कि उधारकर्ताओं की आजीविका को बदलने के लिए माइक्रो क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया जाए। बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में हो रहे तकनीकी परिवर्तन के बारे में निरंतर सावधानी बरतते हुए इस क्षेत्र को अभिनव, अत्याधुनिक और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मॉडल को अपनाना जारी रखना चाहिए।

सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को पारदर्शिता बढ़ाने, ग्राहक केंद्रित मुद्दों पर ध्यान देने और कम आय वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने ग्राहकों के हितों को आगे रखना चाहिए और उत्तरदायी ऋण और आचार संहिता दोनों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। एमएफआई और स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिए इसे अपने कार्ययोजना में शीर्ष पर रखना चाहिए।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों को चाहिए कि वे केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के लिए और एक व्यापक ग्राहक आधार की सेवा देने के लिए उनके ग्राहकों के साथ आउटरीच को व्यापक बनाये। वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ क्षेत्र अनर्जित न रहे। इसके लिए उन्हें अपने कार्यों की गंभीर रूप से समीक्षा करनी चाहिए।

पिछली कुछ तिमाहियों में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लेकिन हमें इस क्षेत्र के अतिसंवेदनशील कारकों जैसे बाहरी विकास, तकनीकी परिवर्तन, घटना जोखिम और उधारकर्ताओं की आय में होने वाली विसंगतियों से अवगत होना चाहिए। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से परिचालन जोखिम बढ़ेगा और इससे ग्राहक के डेटा सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ेगी इसलिए इसे दूर करने की आवश्यकता है।

बैंक, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थान अत्याधुनिक तकनीकों में चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आदि हो, कुछ नया करने के लिए मजबूत

स्थिति में हैं। इस प्रक्रिया में सिडबी विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने के संबंध में, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली, डिफ़ॉल्ट का संभावित अनुमान आदि के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदाताओं को सहारा दे सकता है। सिडबी, तेजी से बदलती इस तकनीक के दौर में, एक मजबूत विनियामक समिति की देख-रेख में आधारभूत ढांचा का निर्माण करने के लिए एक इकोसिस्टम बना सकता है जो टर्नअराउंड समय को कम करके एक सुदृढ़ जोखिम राहत सहित ग्राहक केंद्रित उत्पाद प्रदान करेगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यह अत्याधुनिक उत्पादों का परीक्षण करने और नियामकों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के साधन के रूप में भी कार्य करेगा।

मुझे यकीन है कि इस राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की उन्नति के लिए समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु ठोस कार्रवाई बिंदुओं पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।

मैं सूक्ष्म वित्त सम्मेलन और इसके प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं!

संदर्भ:

RBI (2019), *Reserve Bank of India Annual Report* 2018-19 and 2017-18

The Bharat Microfinance Report 2019, published by Sa-Dhan

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/mfin-sa-dhan-release-code-for-responsible-lending-for-micro-credit-industry-119091600745_1.html, September 16, 2019, accessed online on November 23, 2019

Opportunities and Challenges of FinTech (Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India, March 25, 2019, Keynote Address Delivered at the NITI Aayog's FinTech Conclave)

https://qz.com/india/1139501/indias-online-lenders-are-looking-at-social-media-and-other-unconventional-data-to-determine-credit-worthiness/, accessed online on November 23, 2019 https://www.financialexpress.com/opinion/one-year-of -gst-formalising-the-informal-economy/1229009/ July 3, 2018 accessed online on November 23, 2019

Financial Inclusion in India - The Journey so far and the Way Ahead (Shri S. S. Mundra, Deputy Governor, September 19, 2016 - at the BRICS Workshop on Financial Inclusion in Mumbai)

Formalizing India's informal economy, Shri Anil Padmanabhan, July 11, 2016, accessed on

www.livemint.com on November 23, 2019

Strengthening Governance in Microfinance Institutions (MFIs) - Some Random Thoughts (Keynote Address by Shri Anand Sinha, Deputy Governor, Reserve Bank of India at FICCI's Workshop on 'Strengthening Microfinance Institutions (MFIs): Good Governance and Strategic People Practices, April 23, 2012 at Mumbai